


प्रभावित वन भूमि का भुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0)
के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ0एन0 5-3/2007 (एफ0सी0, डिवीजन) दिनांक-05-02-2009 द्वारा 30 वर्षों के लिए वन भूमि के हस्तान्तरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) और बढ़ी दरों के अनुसार धनराशि को राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2 तुलसीपुर, बलरामपुर द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) वन विभाग उत्तर प्रदेश को ई-पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।


(संतोष कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2
तुलसीपुर, बलरामपुर

Executive Engineer
Rapti Nahar Narmada
Khand-2, Tulsiipur,
Balrampur